पटना समाहरणालय, पटना
(जिला आपूर्ति शाखा)

दिनांक 18.02.2014 को डा. एन. सरवण कुमार, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में पूर्वीकताप्राप्त पात्र गृहस्थी के बीच राशन कार्ड वितरण के संबंध में आहुत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारियों/कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

कार्यवाही

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

राशन कार्ड का मुद्रण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के अन्तर्गत पूर्वीकताप्राप्त पात्र गृहस्थी के बीच राशन कार्ड वितरण की समीक्षा के क्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना द्वारा बताया गया कि एन0आई0सी0 से 15 प्रखंडों का डाटा बेस राशन कार्ड मुद्रण के लिए प्राधिकृत दोनो भेंडरों को तत्काल उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रखंडों का डाटा बेस भी एन0आई0सी0 द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसे भेंडरो को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। भेंडरो द्वारा राशन कार्ड का मुद्रण का कार्य आरंभ किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 20.02.2014 से मुद्रित राशन कार्ड की आपूर्ति शुरू किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दोनो भेंडरो को आदेश दिया जाय कि वे समय–सीमा के अन्दर राशन कार्ड की छपाई कर संबंधित प्रखंडो को आपूर्ति करेंगे तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राशन कार्ड की आपूर्ति होते ही वे राशन कार्ड पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा जन वितरण प्रणाली का नाम एवं पता भी दर्ज करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि दोनो भेंडरों के कार्यस्थल पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी के दो पाली में प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि वे उपस्थित रहकर राशन कार्ड मुद्रण का कार्य समय–सीमा के अन्दर करायेंगें।

अनुपालनः– अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना /राशन कार्ड मुद्रण हेतु चयनित भेंडर।

राशन कार्ड वितरण हेतु कार्य–योजना

बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राशन कार्ड वितरण के लिए दिनांक 20.02.2014 से 25.02.2014 तक के लिए पंचायत स्तर पर रोस्टर तैयार करेंगे तथा राशन कार्ड का वितरण पंचायत में स्थित किसी सरकारी भवन यथा पंचायत भवन/सरकारी विद्यालय इत्यादि स्थल पर ही शिविर लगाकर किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत में राशन कार्ड वितरण के लिए पंचायत सेवक, पंचायत रोजगार सेवक,

180
22/02/014

राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, न्याय मित्र, एस0एम0एस0, आंगनबाड़ी सेविकाओं एंव लिपिक आदि को प्रतिनियुक्त किया जाय तथा पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण कार्य के लिए प्राधिकृत करते हुए पंचायतवार रोस्टर तैयार कर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। वितरण शिविर मे ग्रामवार अलग–अलग टेबुल लगाने, शिकायतो के निराकरण के लिए शिकायत पंजी का संधारण एवं एक पृथक टेबल शिकायत केन्द्र के रूप में स्थापित करने, लाउड स्पीकर लगाने एवं वितरण शिविर मे लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना की सही जानकारी देने हेतु फ्लेक्स बोर्ड लगाने का भी निदेश दिया गया। अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति को निदेशि किया गया कि वे जिला स्तर से राशन कार्ड वितरण हेतु पंचायत स्तरीय शिविर का बैनर तैयार कराकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राशन कार्ड के वितरण के लिंए तैयार किये गये रोस्टर एवं वितरण स्थल की जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं माननीय विधायक को दी जाय एवं उनसे वितरण शिविर में उपस्थित रहने का आग्रह किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि पात्र परिवारो के बीच राशन कार्ड का वितरण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के पहचान पर किया जाय ताकि वास्तविक लाभुको को ही राशन कार्ड प्राप्त हो सके। अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुको के नाम से यदि पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड बन गया हो तो वैसी स्थिति में उस राशन कार्ड को सुरक्षित रखा जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि राशन कार्ड किसी भी परिस्थिति में लाभुक के परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जाय तथा यह भी ध्यान रखा जाय कि राशन कार्ड किसी भी परिस्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के पास नही रखा जाय, यदि इस प्रकार का मामला पाया जाता है तो शिविर के प्रभारी एवं अन्य कर्मियों पर तत्क्षण कार्रवाई की जाय। यह भी निदेश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति राशन कार्ड के संबंध में कोई शिकायत करना चाहता है तो उसकी शिकायत को शिकायत पंजी में दर्ज किया जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अचंलाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि राशन कार्ड वितरण का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाय एवं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्क्षण उसका समाधान किया जाय तथा समय–सीमा के अन्दर राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि अंतिम रूप से वितरण के पश्चात जो भी राशन कार्ड अवितरित बच जायेगा उसे वितरण पंजी के साथ अनुमण्डल कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी वापस करना सुनिश्चित करेंगे। राशन कार्ड वितरण का दैनिक प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी समेकित कर प्रतिवेदन अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति , पटना को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियो को निदेश दिया गया कि वे वितरण का गहन पर्यवेक्षण निश्चित रूप से करेंगे ताकि राशन कार्ड सही लाभुको को

मिल सके तथा निर्धारित अवधि में वितरण कार्य सम्पन्न हो सके। विभागीय निदेश के आलोक में लाभुको से राशन कार्ड का मूल्य 2.00 रू0 प्राप्त किया जाय।

अनुपालनः– अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति/विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रतिनियुक्त कर्मी

उड़नदस्ता दल का गठन

राशन कार्ड वितरण का प्रभावी निरीक्षण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया जाय, जिसमे वरीय उप समाहर्ता, सी0डी0पी0ओ0 एवं अंचल अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाय। सभी उड़नदस्ता दल द्वारा राशन कार्ड वितरण हेतु निर्धारित शिविर मे औचक निरीक्षण करेंगे तथा अनियमितता की सूचना पाते ही विधिसम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपस्थित वरीय उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने प्रभार वाले प्रखंडो में भ्रमण कर राशन कार्ड वितरण का भी सूक्ष्म अनुश्रवण करेंगे तथा जिला पदाधिकारी को राशन कार्ड वितरण की प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।

अनुपालनः– अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी वरीय उप समाहर्ता, पटना जिला

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 557 /आ0, पटना, दिनांक 21/02/14

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी वरीय उप समाहर्ता, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ पेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।